

बिहार सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

संचिका संख्या :— 6 / नि०प्रति०नियु०-०१-०१ / २०२५ 1570(371) पटना, दिनांक :— ०१/०४/२५
प्रेषक,

रणजीत कुमार (बि०प्र०स०),
विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

बिहार वित्त सेवा के सभी पदाधिकारी
(मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं अन्य विभाग/कार्यालय में
पदस्थापित)।

विषय :— चयन वर्ष 2024 के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के
पदाधिकारियों का चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में
नियुक्त हेतु आवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार,
पटना का पत्र संख्या—529 दिनांक 10.01.2025 एवं इसके अनुलग्नक की
छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार
अर्हता रखने वाले बिहार वित्त सेवा के इच्छुक पदाधिकारियों से दिनांक
07.04.2025 की संध्या 05:00 बजे तक विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित
किया जाता है। आवेदन की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी ई-मेल
आईडी—ctdhqgazt-bih@gov.in पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित
किया जाय।

निर्धारित अवधि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन
पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

०१/०४/२५

ई-मेल / विशेष दूत

पत्र संख्या : १/सी०-१००१/२०२५-सा०प्र०- ५२९

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

OSD (राज०)



~~most important urgent~~
उपर्युक्त (राज०)

जल्दी कार्रवाई होती है। जिसका मौजूदा उपर्युक्त फ़िल्म द्वारा जारी है।

24/01/25 विषय:-

~~urgent~~
प्राप्ति (राज०)

महाशय,

529

23.01.25

525/CC

24/01/25

उत्तर

राजभूमि

24/01/25

24/01/25

24/01/25

रचना पाटिल, भा०प्र०स०,
सरकार के विशेष सचिव।

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना
निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना।

पटना-१५, दिनांक : १० जनवरी, २०२५

चयन वर्ष, २०२४ के लिए गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों
की चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि भारतीय
प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, १९५४ के नियम-८(२) तथा भा०प्र०स० (चयन द्वारा
नियुक्ति) विनियमावली, १९९७ के नियम-४ एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत
सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-१४०१५/३०/२०१५-ए आई एस-। दिनांक
-२०.०३.२०१५ के कार्यालय ज्ञापन के आलोक में ऐसे स्थायी राजपत्रित पदाधिकारी
विशेष परिस्थिति में भा०प्र०स० में चयन द्वारा नियुक्ति के लिए विचारणीय हैं जो
(१) बिहार प्रशासनिक सेवा/बिहार वन सेवा/बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी नहीं
हैं, (२) उत्कृष्ट योग्यता और गुण के हैं, (३) दिनांक ०१.०१.२०२४ (प्रथम जनवरी दो
हजार चौबीस ई०) को ५६ वर्ष के नहीं हुए हों तथा (४) अधिष्ठाई हैसियत से राजपत्रित
पद पर लगातार न्यूनतम ८ वर्षों का अनुभव रखते हों।

2. इस हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा ०२(दो) रिक्ति
की सम्पुष्टि की गई है।

3. गैर-राज्य असैनिक सेवा (नॉन-एस सी एस) के पदाधिकारियों की
भा०प्र०स० (बिहार संवर्ग) में चयन आधारित नियुक्ति हेतु राज्य असैनिक सेवा
(एस सी एस) के उप समाहर्ता के पद की समकक्षता सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार
पटना के संकल्प, ज्ञापांक-६०८६ दिनांक २८.०३.२०२३ द्वारा निर्धारित है।

4. अनुरोध है कि अपने विभाग के नियंत्रणाधीन विषयगत राजपत्रित
पदाधिकारियों में से योग्यतम ०२ (दो) पदाधिकारी का चयन सामान्य प्रशासन विभाग
के अनुबद्ध संकल्प ज्ञापांक-८५५९ दिनांक २७.०६.२०१८ में निर्धारित प्रक्रिया और ऊपर
की कंडिका-१ में विनिर्दिष्ट योग्यताओं के अनुरूप निम्नलिखित शर्तों, बंधेजों एवं

औपचारिकताओं के तहत पूर्ण करते हुए आवश्यक कागजात सहित प्रस्ताव विचारार्थ भेजने की कृपा की जायः—

(क) प्रत्येक विभाग में एक चयन समिति गठित की जाय। इस चयन समिति के अध्यक्ष विभागीय प्रधान सचिव/सचिव होंगे। उनके अतिरिक्त समिति में दो अन्य सदस्य रहेंगे जिनमें से एक, विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव द्वारा ही मनोनीत किसी अन्य विभाग के अपर सचिव या उच्चतर स्तर के पदाधिकारी होंगे तथा दूसरे, उक्त विभाग के ही अधीन कोई विभागाध्यक्ष होंगे (यदि कोई हो तो) अन्यथा विभाग के ही कोई वरीय पदाधिकारी होंगे;

(ख) अनुशंसित पदाधिकारी नियमानुसार अवश्य ही उत्कृष्ट योग्यता एवं गुण/दक्षता के हों तथा उनके विरुद्ध प्रथम द्रष्टव्य कोई आरोप प्रमाणित भी नहीं हो;

(ग) पदाधिकारियों के पूर्ण एवं सुस्पष्ट सेवा—इतिहास (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हों) के अलग पृष्ठ (Sheet) अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायें;

(घ) उनकी वार्षिक गोपनीय अभ्युक्तियाँ/वार्षिक कार्य—मूल्यांकन प्रतिवेदनों की विवरणी—समीक्षी एवं स्वीकरण प्राधिकार द्वारा प्रदत्त ग्रेडिंग सहित विवरणी, के अलग—अलग पन्ने संलग्न किये जायें, साथ ही अद्यतन एवं पूर्ण (तिथिशःपूर्ण) मूलचरित्र—पुस्तियाँ/उन चरित्र पुस्तियों के सभी पृष्ठों की अभिप्राप्ति छायाप्रतियों भी संलग्न की जायें। जिन तिथियों अथवा अवधि की गोपनीय अभ्युक्तियाँ/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन यदि, प्रतिवेदक/समीक्षी/स्वीकरण प्राधिकार में से किसी स्तर द्वारा अभिलेखित न हुआ हो या अल्पावधि के कारण अभिलेखित किया जाना आवश्यक न हों अथवा अभ्युक्तियाँ/प्रतिवेदन अनुपलब्ध हों, तब उनके अभिलेखित न होने/अनुपलब्ध होने के मान्य कारण का प्रमाण—पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी अवश्य संलग्न किये जायें। मूल वार्षिक अभ्युक्तियों/कार्य—मूल्यांकन प्रतिवेदनों के अभाव में प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

प्रासंगिक उद्देश्य से संबंधित चयन वर्ष सहित कुल पाँच वर्षों (संबंधित चयन वर्ष और उसके ठीक पूर्व के वर्ष) की गोपनीय चारित्रियाँ/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मूल्यांकित होंगे।

(ङ) पदाधिकारियों के विरुद्ध लंबित विभागीय आरोप, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय के यहाँ मामला लंबित नहीं रहने का स्पष्ट प्रमाण पत्र (जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हों) भी भेजे जाएँ ताकि संबंधित पदाधिकारियों की पूर्ण सत्यनिष्ठा सत्यापित की जा सके;

(च) पदाधिकारियों की पूर्व पदस्थापन विवरणी (वेतनमान सहित) सम्मिलित किया जाय;

(छ) पदाधिकारियों के मनोनयन उनके पैतृक विभागों द्वारा ही किये जायेंगे;

(ज) पात्रता के लिये निर्धारित भारत सरकार की शर्तों (जिनका उल्लेख उपर्युक्त कंडिका-1 एवं संलग्न संगत नियमावली की कंडिका-4 में है) के पूर्णतः अधीन रहते हुए विषयगत प्रयोजन से गठित की जानेवाली विभागीय समितियों द्वारा अनुशूचित जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व को भी दृष्टिगत करने का यथा संभव प्रयास भी किया जाय; और

(झ) प्रशासी विभागों की चयन समिति की कार्यवाही की मूलप्रति एवं उसकी अभिप्रमाणित छायाप्रति सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किये जाने वाले मनोनयन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न की जायें। समिति की अनुशंसा पर संबंधित विभागीय मंत्री का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जाय तथा पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख रहे कि चयन समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं रहने पर प्रशासी विभाग से प्राप्त अनुशंसाएँ किसी भी परिस्थिति में विचारणीय नहीं होंगी;

5. कंडिका-4 में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के आलोक में अनुशंसा के साथ सभी आवश्यक सूचनायें एवं कागजात अनुबद्ध विहित प्रपत्र में संलग्न किए जायें। किसी सूचना/कागजात के अभाव में प्राप्त अनुशंसायें भी विचारणीय नहीं होंगी।

6. प्रशासी विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अगर किसी पदाधिकारी को अनुशंसित किया गया है, तो उनको पुनः अनुशंसित करने में यद्यपि प्रतिबन्ध नहीं है, यदि वे इस पत्र में वर्णित शर्तों एवं बंधेजों के अन्तर्गत आते हों। परन्तु, नये पदाधिकारियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से आलोच्य विचारण-प्रक्रिया में वैसे पदाधिकारियों के नाम पर विचार नहीं किया जाय, जो संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु दो बार उपस्थित हो चुके हों।

7. वैसे पदाधिकारियों के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे, जिनकी सम्पूर्ण सेवावधि की गोपनीय चारित्रियां/ कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन संबंधित विभाग के आधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड नहीं होंगे।

8. प्रासंगिक चयन प्रक्रिया को संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करना होता है। प्रशासी विभागों द्वारा समर्पित की जाने वाली अनुशंसाओं की त्रुटियों के मार्जन में काफी समय व्यय हो जाता है, फलस्वरूप, प्रश्नगत पत्र व्यवहारों में व्यतीत होने वाले समय को न्यून करने की दृष्टि से आलोच्य अनुशंसायें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में एकल खिड़की विधि से प्राप्त की जायेंगी। इस प्रक्रिया के तहत वांछित अनुशंसाएँ मात्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की प्रशाखा-01 में संबंधित प्रशासी विभागों की ओर से प्रांधिकृत पदाधिकारी, जो प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून स्तर के हों, द्वारा प्राप्त करायी जायेंगी ताकि प्रासंगिक समर्पण की त्रुटियों का तत्क्षण/ शीघ्रातिशीघ्र निराकरण संभव हो सके।

3

9. अनुरोध है कि यथा वर्णित रीति से विभागीय मनोनयन 10.04.2025 तक श्री कन्हैया कुमार, सहायक प्रशास्त्री पदाधिकारी/श्री अरबिन्द कुमार सिंह, सहायक प्रशास्त्री पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-01, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को हस्तगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Chauhan
10.1.25

सरकार के विशेष सचिव

अनुलग्नक—

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक—6086 दिनांक 28.03.2023 की प्रति।
- (2) भा०प्र०स०० (चयन द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1997 की कंडिका—4 से संबंधित पृष्ठ।
- (3) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—8559 दिनांक 27.06.2018 एवं संगत पाठ्यक्रम की प्रतियों
- (4) आवश्यक सभी प्रपत्र/जॉच पत्र/अभिलेख समर्पण— विवरणी (8 पृष्ठों में)।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
संकल्प

संख्या—१/सी०—१००४/२०२३—सा०प्र०—६०८६/पटना—१५, दिनांक २८ मार्च, २०२३

विषय:— भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, १९९७ के अन्तर्गत गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदों को उप समाहर्ता के पद की समकक्षता संबंधी अधिघोषणा के संबंध में।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, १९५४ के नियम—८ (i) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, १९९७ के अन्तर्गत गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति का प्रावधान है। भा०प्र०से० (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, १९९७ के नियम—४ (iii) में अन्य उपबंधों के अतिरिक्त यह उपबंध भी किया गया है कि गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को राज्य सिविल सेवा के उप समाहर्ता के समकक्ष घोषित किया गया हो।

२. माननीय कैट (पटना पीठ), रॉची द्वारा ओ०ए० संख्या—२२१/०१ तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या—१०६१६/२०१० में पारित न्यायादेशों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक—१/सी०—१०१९/२०११(खण्ड—१)—सा०प्र०—४९०० दिनांक ०२.०४.२०१२ द्वारा तत्समय राज्य में प्रवृत्त छठ्ठे वेतन पुनरीक्षण के अनुरूप गैर-राज्य असैनिक सेवा के पदाधिकारियों द्वारा धारित पदों के लिए आलोच्य समकक्षता निम्नवत् निर्धारित की गई थीः—

“‘बिहार वन सेवा’, ‘बिहार आरक्षी सेवा’ एवं ‘राज्य प्रशासनिक सेवा’ से भिन्न अन्य राज्य सेवाओं एवं संवर्गों के ८,०००—१३,५००/- रूपये का अपुनरीक्षित वेतनमान(पुनरीक्षित वेतनमान पे० बैंड—३, रु० १५,६००—३९,१००+ग्रेड पे० —रु० ५,४००/-) तथा उच्चतर वेतनमान के पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम, १९९७ की धारा—४ के उद्देश्यार्थ राज्य सिविल सेवा के उपसमाहर्ता के पदों के समकक्ष घोषित किया जाय। इस वेतनमान वाले पदों एवं इससे उच्चतर वेतनमान वाले पदों पर कुल मिलाकर कम—से—कम आठ वर्षों की सेवा होने के उपरान्त ही संबंधित पदाधिकारी इस विनियम के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन द्वारा नियुक्त होने पर विचार क्षेत्र में आ सकते हैं।”

3. छठ्ठे वेतन पुनरीक्षण में राज्य असैनिक सेवा के उप समाहर्ता के पद के लिए पी बी-2 + 5,400/- ($\text{रु} 9,300 - 34,800/- + \text{ग्रेड पे}- 5,400/-$) तथा सेवा के चार वर्षों के बाद सम्पूष्ट होने पर पी बी-3 + 5,400/- ($\text{रु} 15,800 - 39,100/- + \text{ग्रेड पे}- 5,400/-$) का वेतनमान अनुमान्य किया गया था।

3.1 दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से राज्य में लागू सातवें वेतन पुनरीक्षण में राज्य असैनिक सेवा के उप समाहर्ता के पदों के लिए छठ्ठे वेतन पुनरीक्षण में अनुमत उपर्युक्त वेतनमान को लेवल-9 ($\text{रु} 53,100 - 1,67,800/-$) के रूप में पुनरीक्षित किया गया है।

4. अतएव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1/सी0-1019/2011(खण्ड-1)-सा0प्र0-4900 दिनांक 02.04.2012 में प्रश्नगत समकक्षता के लिए नियत वेतनमान को लेवल-9 के रूप में पुनरीक्षित माना जाएगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-1/सी0-1019/2011(खण्ड-1)-सा0प्र0-4900 दिनांक 02.04.2012 की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

fbm
29.3.23
(रचना पाटिल)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/सी0-1004/2023-सा0प्र0-6086/पटना-15, दिनांक 28 मार्च, 2023
प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति एवं तत्संबंधी सी0डी0 के साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

fbm
29.3.23
सरकार के विशेष सचिव।

(17)
66

ज्ञापाक-1/री0-1004/2023-सा0प्र0-6086/पटना-15, दिनांक 28 मार्च, 2023
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अध्यक्ष-सह-सदस्य,
राजस्व पर्षद/राज्यपाल के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार,
पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सरकार
के सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सामान्य
प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Ram
28-2-23

सरकार के विशेष सचिव।

6

THE INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE (APPOINTMENT BY SELECTION) REGULATIONS, 1997

In exercise of the powers conferred by section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of sub-rule (2) of rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 and in supersession of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1956, except as respects things done or omitted to be done before such supersession the Central Government in consultation with State Governments and the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997.
- (2) They shall come into force on the first day of January, 1998.

2. Definitions- In these regulations, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Committee" means the Committee as constituted under regulation 3 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955;
- (b) "Promotion Regulations" mean the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955;
- (c) "Recruitment Rules" means the Indian Administrative service (Recruitment) Rules, 1954, and
- (d) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Indian Administrative Service(Recruitment) Rules,1954 and Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, shall have the meanings respectively assigned to them in those Rules and Regulations.

3. Determination of vacancies to be filled: - The Central Government shall, in consultation with the State Government concerned, determine the number of vacancies for which recruitment may be made under these regulations each year. The number of vacancies shall not exceed the number of substantive vacancies, as on the first day of January of the year, in which the meeting of the Committee to make the selection is held.

4. State Government to send proposals for consideration of the Committee.- (1) The State Government shall consider the case of a person not belonging to the State Civil Service but serving in connection with the affairs of the State who,

- (i) is of outstanding merit and ability; and
- (ii) holds a Gazetted post in a substantive capacity; and
- (iii) has completed not less than 8 years of continuous service under the State Government on the first day of January of the year in which his case is being considered in any

post which has been declared equivalent to the post of Deputy Collector in the State Civil Service and propose the person for consideration of the Committee. The number of person proposed for consideration of the Committee shall not exceed five times the number of vacancies proposed to be filled during the year.

Provided that the State Government shall not consider the case of a person who has attained the age of 54 years on the first day of January of the year in which the decision is taken to propose the names for the consideration of the Committee:

Provided also that the State Government shall not consider the case of person who, having been included in an earlier select list, has not been appointed by the Central Government in accordance with the provisions of regulation 9 of these regulations.

5. Preparation of a list of suitable Officers by the Committee- The committee shall meet every year to consider the proposal of the State Government made under regulation 4 and recommend the names of the persons, not exceeding the number of vacancies to be filled under regulation 3, for appointment to the Service. The suitability of a person for appointment to the service shall be determined by scrutiny of service records and personal interview:

Provided that no meeting of the Committee shall be held and no list for the year in question shall be prepared, when

- (a) there are no substantive vacancies as on the first day of January of the year in the posts available for recruitment of persons under sub-rule (2) to rule 8 read with proviso to sub-rule (1) to rule 9 of the recruitment rules; or
- (b) the Central Government in consultation with the State Government decides that no recruitment shall be made during the year to the substantive vacancies as on the first day of January of the year in the posts available for recruitment under sub-rule (2) of rule 8 read with provision to sub-rule (1) to rule 9 of the recruitment rules; or
- (c) the Commission, either on its own or on a proposal made by the Central Government or the State Government, considers that it is not practicable to hold a meeting of the Committee during the year, in the facts and circumstances of each case.

Explanation- In case of Joint Cadres, a separate select list shall be prepared in respect of each constituent having a State Civil Service.

6. Consultation with the Commission:-(1) The recommendations of the Committee made under regulation 5 shall be placed before the State Government concerned which shall forward the same to the Commission for approval along with

- (i) the confidential records of the officer concerned; and
 - (ii) the observations, if any, of the State Government and the recommendations of the Committee.
- (2) The State Government shall also forward the recommendations of the Committee and its observations, if any, to the Central Government. The Central Government shall forward their observations, if any, on the recommendations of the Committee, to the Commission.

14
63

7. Preparation of select list by the Commission:- (1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee, the observations, if any, of the Central Government and the State Government concerned on the recommendations of the Committee and approve the list subject to the provisions of sub-regulation (2) which shall be termed as a select list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any amendment in the list, it shall consult the Central Government and the State Government concerned and after taking into account the comments, if any, of the Central Government and the State Government concerned, may approve the list with such amendments, if any, as are in its opinion, just and proper.

8. Appointment to the Service from the select list.-

(1) Appointment of persons who are included in the select list, and are willing to be appointed to the Service, shall be made by the Central Government, within a period of sixty days, in the order in which the names of such persons appear in the select list:

Provided that the appointment of persons who are included in the select list shall be made in accordance with the agreement arrived at under clause (b) of sub-rule (3) of rule 8 of the recruitment rules in the order in which the names of such persons appear in the relevant parts of the select list:

Provided also that in case a select list officer has expressed his unwillingness for appointment to the Service, he shall have no claim for appointment to the Service from that select list unless he informs the Central Government through the State Government before the end of the year in which the meeting of the Committee is held to prepare the select list or within sixty days of the date of the letter conveying his expression of unwillingness to be appointed to the Service whichever is later, revoking his earlier expression of unwillingness for appointment to the Service.

9. Power of the Central Government not to appoint in certain cases:- Notwithstanding anything contained in these regulations, the Central Government may not appoint any person whose name appears in the select list, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest.

Provided that no such decision shall be taken by the Central Government without consulting the Union Public Service Commission and without recording the reasons therefor.

संकल्प

संख्या:- 1/सी०-1003/2018-सा०प्र०-८५६९/पटना-15 दिनांक २३ जून, 2018

विषय:- गैर-राज्य असेनिक सेवा से चयन द्वारा भाठप्र०से० (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति हेतु राज्य स्कीनिंग समिति(अनौपचारिक समूह) द्वारा पदाधिकारियों के नामों की स्कीनिंग के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) निमावली, 1954 के तहत गैर-राज्य असेनिक सेवा से भाठप्र०से० (बिहार संवर्ग) में नियुक्ति हेतु अपेक्षित विषयगत स्कीनिंग के लिए आवश्यक प्रक्रिया निम्नतः निर्धारित की जाती है:-

(क) समिति द्वारा संबंधित घटन वर्ष से पूर्व के 05 वर्षों के ए.सी.आर./पी.ए.आर. का मूल्यांकन किया जायेगा। यथा- घटन सूची वर्ष, 2017 के लिए वर्ष, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के ए.सी.आर./पी.ए.आर. मूल्यांकित होंगे।

(ख) विभिन्न विभागों से अनुशंसित नॉन-एस सी एस पदाधिकारियों की स्कीनिंग उनके ए.सी.आर./पी.ए.आर. तथा इस निमित्त आयोजित होने वाले एक संक्षिप्त साक्षात्कार के आधार पर होंगी। इसके लिए कुल 70 अंक निर्धारित रहेंगे। साक्षात्कार का पाठ्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रासंगिक प्रयोजन के लिए नियत पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा।

(ग) स्कीनिंग के लिए निर्धारित 70 अंक ए.सी.आर./पी.ए.आर. मूल्यांकन तथा साक्षात्कार के लिए निम्नप्रकारण विभाजित होंगे:-

ए.सी.आर./पी.ए.आर. के लिए निर्धारित साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल अंक	साक्षात्कार के लिए निर्धारित कुल अंक
45	25

(घ) साक्षात्कार के लिए न्यूनतम अर्हकांक 10 अंक रहेगा। अर्थात् साक्षात्कार में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करने वाले पदाधिकारी ही घटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने की पात्रता धारण वाले सर्वोंगे, अन्यथा इस हेतु आयोग नामे जायेंगे।

(ङ) ए.सी.आर./पी.ए.आर. के लिए नियत 45 अंकों के संदर्भ में प्रशासी विभागों द्वारा ए.सी.आर./पी.ए.आर. के लिए प्रदत्त मूल्यांकन कोटि (प्रेडिंग)/अंक हेतु महसूस अंक निम्न प्रकार दिये जायेंगे:-

उत्कृष्ट	मध्य अव्यंग	अव्यंग
9	7	5

(च) वांछित संख्या में अभ्यर्थियों की स्कीनिंग हेतु समिति, मेधा का निर्धारण अभ्यर्थियों को ए.सी.आर./पी.ए.आर. का मूल्यांकन और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों वाले जोड़ कर करेगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंकों के बराबर होने की स्थिति में उनकी पारंपरिक मेधा या निर्धारित सर्वप्रथम उनकी सेवावधि के आधार पर उन्होंने सेवावधि के समान होने पर अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के अनुरूप किया जायेगा।

(12)

(३) किसी पूर्ण माह देते दिनों में अभिलेखित गोपनीय चारिन्द्री/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के लिए ०। से १५ दिनों तक के लिए अभिलेखित चारिन्द्री/प्रतिवेदन संबंधित माह से पूर्व के पूर्ण माह तक अभिलेखित माना जायेगा और १५ से आगे की तिथियों तक का अभिलेखन संबंधित पूर्ण माह के रूप में रखीकार्य होगा।

(४) किसी वर्ष में अवधि विशेष के शून्य प्रतिवेदन प्रमाण—पत्र (एन आर री) को पूर्ण वर्ष के प्रतिवेदन के अंश के रूप में मान्य किया जायेगा।

आदेश—

आदेश दिया जाता है कि सर्व-साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ सभी संबंधितों को उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल को आदेश से

२१।

(दर्यानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

उपायक: १/सी०-१००३/२०१८-सा०प्र०-९५५७ /पटना, दिनांक: २७-६-१९

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी, हे गजट कोषांग, विस विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति एवं तत्संबंधी सी०डी० को साथ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

२१।

सरकार के अपर सचिव।

उपायक: १/सी०-१००३/२०१८-सा०प्र०- ८५५७ /पटना, दिनांक: २७-६-१९

प्रतिलिपि:— राज्यपाल को प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सभी विभागीय प्रधान सचिव/विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आल सचिव/विकास आयुक्त/सदरय, राजराज पर्यट/सामान्य प्रशासन विभाग के सभी पदाधिकारियों/प्रशासकाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई देते प्रेषित।

२१।

सरकार के अपर सचिव।

Indicative syllabus regarding personal interview for selection of
Non- SCS officers for appointment to the IAS.

1. Good knowledge of history, culture and geography of the State in which the candidate is already working
2. A broad awareness of India's historical background for the evolution of its diverse and multi-cultural society, Its composite culture and its rich heritage, India's struggle for freedom and the emergence of the Republic of India.
3. A broad perspective of Indian political system, concepts of parliamentary democracy, cabinet form of government, unitary vs. federal systems of government, rule of law, rights, judicial review etc.; characteristics of Indian Constitution, Indian federalism, Centre-State relations, regional disparities, regional identities and conflicts.
4. Basic knowledge of India's economy, economic inequalities and social disparities; India's developmental issues and goals, India's internal and external trade, India's monetary and fiscal policies. The role, responsibility and strategy formulation of Governments (Centre and States) in social and economic development and in improving the Human Development Indices. Emerging trends and issues in India's internal trade, taxation, economy and financial management. Digitalization of financial system, reduction of corruption and promotion of financial inclusion.


5. Emerging trends in governance, good governance practices, e-governance, use of information technology and communication technology in government business, role and impact of social media in governance, citizens' charter, transparency in governance including policies and initiatives of the government in furtherance of this objective viz., RTI, Lokpal etc., quality of service delivery. Policies and initiatives of the government for inclusive growth & women's empowerment, disaster management, utilization of public funds and such other knowledge of governance which a civil service officer is expected to possess.
6. Awareness of India's human capital, India's demographic profile, India's policies and programmes to take advantage of 'Demographic Dividend'.
7. Fundamental awareness of India's ecology and environment, India's vulnerability to 'Global Warming and Climate Change', India's preparedness, policies and programmes for adaptation to the impending hazards and dangers of global warming and climate change etc. Ecological assessment of developmental projects, integration of environmental costs in budgets and development programmes. Emerging issues and developments in Ecology and Environment at national and international level.
8. Fundamental awareness of India's natural resource base including biodiversity. The concepts of judicious and sustainable use of natural resources. The role, responsibility, plans, policies and programmes of the Governments (Centre and States) in the conservation of natural resources including Genetic Resources.

(4)

(3) Oct 9

9. Concept of sustainable development, awareness of emerging issues and trends in this regard. India's preparedness and programmes to achieve "Sustainable Development Goals".
10. Awareness of India's scientific and technological power and progress, developing a high-tech, knowledge-based economy; and visualizing India as an advanced country.
11. A broad awareness of developments in international arena. Emerging trends in geopolitics, economy, regional rivalries and conflicts. United Nations and various associations and groupings like ASEAN, BRICS, G4, G20, BIMSTEC, SCO etc., and important and influential international voluntary organizations. India as an emerging economic and regional power. India's strategic interests and core concerns. India's bilateral and multilateral relations including trade relations. An awareness of emerging trends and developments in global economy and their impact on India; the phenomenon of globalization, India's integration in globalization, consequences of globalization, etc. and such other aspects of knowledge of global politics and economy which a civil service officer is expected to possess.

(Vide Commission's decision dated 17 March 2017)


(Kumar Vaibhav Gaur)
Joint Secretary (AIS)

(57) (2)

Bio-Data of Non-SCS Officers

1. Name of the Officer-
2. Date of Birth-
3. Educational Qualification-
4. Whether belongs to SC/ST/OBC-
5. Date of confirmation in gazetted Posts-
6. Present post held-
7. (i) Date of appointment to the post which has been declared equivalent to the post of Dy. Collector in the State Civil Service-
(ii) Name of the Post-
(iii) Whether holding the post substantively and the date since when-
8. Date of Gazetted Post held-
9. Achievement in Brief (including publications in any)
10. Training undergone-

Sl. No.	Name of the posts held	Category of the posts	period	Scale of pay	Duties (Brief)
---------	------------------------	-----------------------	--------	--------------	----------------

Signature-
Name
Designation :

Annexure-4.1-A

(A) Details of Disciplinary Proceeding Pending Against Eligible Officers

SI.N o	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature :

Name :

Designation :

Annexure-4.1-B

(A) Details of Criminal Proceeding Pending Against Eligible Officers

SI.N o	Name of officers/Merit List	Date of Issue of Charge Sheet to the Officers	Brief facts and nature of charges	Present Status
1	2	3	4	5

Signature :

Name :

Designation :

(54)

Annexure-4.2

Details of Penalties Imposed on Eligible Officers During The last 10 Years								
SI. NO.	Name of officers/Merit List	Year in which offence is committed	Date of Issue of Charge Sheet	Date on which penalty imposed	Nature of Penalty	Period of currency of the penalty and the date when the currency of penalty will be over	Whether any appeal has been filed and if so whether there is any interim stay.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature :

Name :

Designation :

Certificate regarding communication of Adverse Remarks in respect of eligible Officers.

1. Adverse remarks in the character rolls of the following eligible officers have not been communicated by the State Govt. to the officers concerned.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

2. Adverse entries in respect of the following eligible officers have been communicated but no representations have been so far received from the officers concerned but the time limit to represent is not yet over.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

3. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time but the decision of the State Government is yet to be taken.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

4. Representations against adverse entries in respect of the following officers have been received within the stipulated time & decision of the State Government has been taken in this regard.

Sl. No.	Name (S/Shri)	Period

Signature :

Name:

Designation :

(A)
53

ANNEXURE 3.4 A

ANNEXURE S

Consolidated Statement of Non-State Civil Service Officers eligible for consideration for appointment to the IAS as on 1st January of the Select List year

Check List

S.L. No.	Information to be mentioned	Remarks
1	Whether the date of birth, date of continuous appointment in the qualifying grade and date of confirmation in service of the concerned officer/ officers are true and verified with the official records?	
2	Whether name and date of birth of the officer/ officers have been tallied with the seniority list? In case of any variation, reasons and factual status should be mentioned in brief.	
3	Whether duly signed (signed by the authority not below the rank of Joint Secretary) statement of disciplinary proceedings, criminal proceedings, adverse remarks and consolidated statement of the officer in Annexure 1.1 (A & B) 4.2, 6 and 3.4-A are furnished?	
4	Whether any court matter/ directions are pending against the concerned officer/ officers.	

Signature of the competent Authority
with Name and Designation

अभिलेख समर्पण—विवरणिका

(नॉन—एस सी एस)

1	क्या समर्पित की जा रही अनुशंसाओं प्रशासी विभाग की चयन समिति द्वारा अनुशंसित है, यदि अनुशंसित है, तो उनकी मूल तथा अभिप्राणित छायाप्रति संलग्न हैं—	
2	क्या प्रासंगिक अनुशंसाओं पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है—	
3	क्या सेवा—इतिहास का विभागीय अभिलेखों से मिलान कर लिया गया है और वह संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है—	
4	क्या सेवा इतिहास में सेवा में नियुक्ति तथा सम्पुष्टि की तिथियां स्पष्ट रूप से अंकित और सत्यापित हैं—	
5	क्या संबंधित पदाधिकारियों की उम्र निर्धारित सीमा (दिनांक 01.01.2024 को 56 वर्ष से कम) के अधीन है—	
6	<p>क्या वांछित चारित्रियां/कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन तिथिशः अद्यतन एवं पूर्ण हैं—</p> <p>(i) क्या संबंधित पदाधिकारी की सम्पूर्ण सेवावधि की चारित्रियां बिहार सरकार के आधिकारिक बेवसाइट पर अपलोड हैं?</p> <p>(ii) जिन तिथियों/तिथियों अथवा अवधि के लिए चारित्री/ कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अभिलेखित नहीं हो सके हैं, उनका अभिलेखन नहीं होने के संबंध में मान्य कारण का प्रमाण—पत्र संलग्न है—</p>	
7	जिन तिथियों/अवधियों की चारित्रियां अभिलेखित नहीं हैं उनके लिए संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त कारण के प्रमाण—पत्र (मूल/अभिप्राणित छायाप्रति सहित) संलग्न हैं—	
8	क्या विभागीय आरोप एवं निगरानी विभाग तथा लोकायुक्त कार्यालय में मामला लंबित नहीं रहने का संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण—पत्र संलग्न है—	
9	क्या प्रमाणिक सूचनाएं सभी विहित प्रपत्र में दर्ज हैं—	
10	क्या समर्पित अनुशंसाओं में विभागीय पत्रांक—590.. दिनांक 10.01.2024 की सभी शर्तें पूर्णतः अनुपालित हैं—	
11	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की प्रशाखा—01 में आलोच्य समर्पण हेतु नामित प्रशाखा पदाधिकारी स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी का नाम, पदनाम और सम्पर्क विवरण अवश्य अंकित किया जाए—	

(संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर)
सक्षम प्राधिकार का हस्ताक्षर